

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

कार्यालय आदेश

3/प्र0-कम्प्यूटर-02/12.....

पटना, दिनांक.....

श्री अमिताभ कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को स्मार्ट-कार्ड परियोजना आधारित कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री कुमार State Key Management Authority (SKMA) के रूप में कार्य करेंगे।

2. श्री अमिताभ कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को तत्कालीन अपर सचिव, श्री सुरेश कुमार सिन्हा के स्थान्तरण एवं श्रमायुक्त के पद पर पदस्थापन के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री रामरूप सिंह (भा0प्र0से0), विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के साथ संयुक्त रूप से SKMA card को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए Double lock safe के संचालन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

3. Double lock safe की एक-एक सेट चाबियाँ उक्त दोनों पदाधिकारियों के पास रहेगी। क्षेत्रीय पदाधिकारियों के आई0 ए0 कार्ड को रिचार्ज करने हेतु SKMA Card की आवश्यकता होने पर दोनों पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से इन चाबियों का प्रयोग कर Double lock safe खोला जायेगा, तत्पश्चात् नोडल पदाधिकारी द्वारा SKMA Card निकाल कर रिचार्ज की कार्रवाई पूरी की जायेगी। SKMA Card के प्रयोग के बाद इसे पुनः दोनों पदाधिकारियों की उपस्थिति में सुरक्षित Double lock safe में रखा जायेगा।

दोनों चाबियों के एक अतिरिक्त सेट को मुहरबंद लिफाफे में संबंधित कोषागार में सुरक्षित अभिरक्षा के अंतर्गत रखने की कार्रवाई की जायेगी।

यह कार्य Central Key Generation Authority (CKGA) द्वारा प्रदत्त Software में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप ही किया जायेगा।

4. परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पूर्व में निरित कार्यालय आदेश ज्ञापांक-5089 दिनांक 26.12.2012 को निरस्त किया जाता है।

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-3/प्र0-कम्प्यूटर-02/12.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/डा0 महेश चन्द्रा, उप निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र/ श्री एस0 के0 सिन्हा, वरीय तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली/श्री सन्तोष कुमार, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-3/प्र0-कम्प्यूटर-02/12..... 2078

पटना, दिनांक 11.7.13

प्रतिलिपि:- श्री रामरूप सिंह (भा0प्र0से0), विशेष सचिव/श्री अमिताभ कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2078/11/13

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।